

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक 03.07.2023)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 299 / 2023

GCMS NO- 2023/636

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान

विजय कुमार बनाम राज0 सरकार

—:आदेश:—

दिनांक : 03.07.2023

प्रार्थी के 'नाम दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का कलाखरी के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सागा	135	1.किरोड़ीमल पुत्र सालिम 2.गुलाब देवी पत्नि स्व. सालिम 3.गोपीराम पुत्र सालिम 4.निर्मला देवी पुत्री सालिम 5.विजय कुमार पुत्र सालिम 6.सुरेन्द्र सिंह पुत्र सालिम	1.किरोड़ीमल पुत्र शालूसिंह 2.गुलाब देवी पत्नि स्व. शालूसिंह 3.गोपीराम पुत्र शालूसिंह 4.निर्मला देवी पुत्री शालूसिंह 5.विजय कुमार पुत्र शालूसिंह 6.सुरेन्द्र सिंह पुत्र शालूसिंह



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :-03.07.2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री विजय कुमार पुत्र शालू सिंह को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना